

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स .3-3 (1) स्था/मंत्रा./अभि./2016/पार्ट-I/ 2450-45 दिनांक:- 21-2-17

आदेश:-

अभियोजन विभाग सेवानिवृत्त कार्मिको को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ. 17(10) डी.ओ.पी. ए.॥/94 दिनांक 26.05.2014 एवं 10.02.2016 में वर्णित शर्तों के अनुसार समेकित पारिश्रमिक पर प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर निम्नांकित आदेशो के द्वारा दिनांक 28.02.2017 तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

क्र.सं.	प्रशासनिक विभाग से प्राप्त आईडी क्रमांक व दिनांक	अभियोजन विभाग द्वारा अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति के आदेश क्रमांक व दिनांक	अस्थाई रूप से नियुक्त कार्मिको की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	93886/ 27.04.2016	4883-918/ 04.05.2016	32 (-2)
2.	98563/ 13.06.2016	7060-64/ 22.06.2016	45 (-1)
3.	98563/ 06.09.2016	10124-29/ 09.09.2016	08
4.	98563/ 06.10.2016	11930-34/ 03.11.2016	16
5.	120411/ 30.11.2016	13684-710/ 08.12.2016	11
योग:-			109

चूंकि सम्बन्धित नियमों में उपरोक्त प्रकार की नियुक्ति 1(एक) वर्ष के लिये किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रशासनिक विभाग की आईडी क्रमांक 26244/गृह-10/17/ दिनांक 14.02.17 से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर श्री गोवर्धन राम जाट कार्या. एडीपी चुरु, श्री शमशेर खा कार्या. एडीपी जालोर तथा श्री महेन्द्र कुमार ओझा कार्या. एडीपी जोधपुर को छोड़कर उपरोक्त सारणी के कालम सं. 3 में अंकित निदेशालय द्वारा जारी स्वीकृति आदेशानुसार सेवानिवृत्त मंत्रालयिक कर्मचारियों की संविदा पुर्ननियुक्ति सम्बन्धित उप निदे.अभि./सहा.निदे.अभि. द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुबन्ध की दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहलें हो की अवधि तक एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। संविदा पुर्ननियुक्ति सेवाएँ किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिको को लेने के सम्बन्ध में शेष शर्तें पूर्व में जारी आदेशो के अनुसार यथावत रहेगी।


(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अनुभागाधिकारी गृह(ग्रप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
3. सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन,
4. सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन,
5. संबन्धित कर्मचारी द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन,
6. लेखा शाखा /रक्षित पत्रावली।

716 | 21.2.17
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर